फर्द अहकाम

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

**प्रार्थी**–श्री दौलतराम **बनाम** **विपक्षी** श्री मोहन व अन्य

**कस्म मुकदमा** :–रा.वा. (अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.A.) **प्रकरण संख्या** :–08 / 2024

| | कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर–2024 / 15) | |
|---|---|---|
| **13–04–2026** | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) जा.दि. पर उभयपक्ष को सुना गया। वादी ने दिनांक 23–02–2026 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) जा.दि. का पेश कर निवेदन किया कि वादी अपने उक्त वाद मे आगे कोई कार्यवाही नही चलाना चाहता है तथा वादी अपना पुनः दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा वादी विड्रॉ करना चाहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) जा.दि. का स्वीकार कर दावा विड्रॉ किया जाना फरमावे।<br><br>प्रतिवादीगण ने वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) जा.दि. को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।<br><br>अतः वादी के निवेदन पर वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) जा.दि. का स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>आदेश आज दिनांक **13–04–2026** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br><br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>सहायक कलक्टर सलूम्बर<br>**सलूम्बर**<br>जिला सलूम्बर | |